न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, निम्बाहेड़ा जिला चित्तौडगढ़
पीठासीन अधिकारीः- पंकज शर्मा, RAS

प्रकरण सं. 121 /2019 प्रार्थना पत्र

श्रीमती रूकमणी पत्नी प्रकाश चन्द्र, जाति धाकड़, आयु वयस्क, निवासी टीलाखेड़ा, तहसील निम्बाहेड़ा।

- प्रार्थीया

//बनाम//

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, निम्बाहेड़ा।

- विपक्षी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136
राजस्थान लैण्ड रेवेन्यु एक्ट, 1955

निर्णय दिनांक 25.07.2019

प्रार्थीया ने आवेदन पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम अरनिया जोशी की आराजी नं. 648/509 रकबा 2 बीघा भूमि कन्हैयालाल पिता भला, गंगा बेवा भला चारण के नाम गैर खातेदारी में दर्ज रेकार्ड थी। उक्त भूमि जरिये नामान्तरकरण संख्या 8 से कन्हैयालाल पिता भला चारण सा. देह के नाम खातेदारी में दर्ज हुई। नामान्तरकरण संख्या 94 दिनांक 03.02.2016 से विक्रय के आधार पर देवी सिंह पिता गणपत सिंह राजपूत, सा. टीलाखेड़ा के नाम दर्ज हुई। देवी सिंह से प्रार्थी ने खरीदी जिसका इन्द्राज जरिये इन्तकाल संख्या 99, दिनांक 21.06.2016 से प्रार्थीया के नाम अमल दरामद हुआ। वक्त आवंटन से मूल खातेदार जहां पर काबिज था, उसी का कब्जा पूर्व में देवी सिंह को व उसके पश्चात प्रार्थीया को सिपूर्द किया गया। प्रार्थीया वक्त खरीद से काबिज काश्त चली आ रही है। वर्तमान सेटल मेण्ट में नक्शा ट्रेस में उक्त भूमि की गलत तरमीम कर दी गई है। अतः मोके पर कब्जे अनुसार साबिक रेकार्ड के आधार पर नक्शा ट्रेस में तरमीम की जावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर तहसीलदार निम्बाहेड़ा से रिपोर्ट ली गई। तहसीलदार निम्बाहेड़ा ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर अवगत कराया है कि प्रार्थीया का कब्जा आवंटन अनुसार सही है परन्तु वर्तमान रेकार्ड में उक्त आराजी बिलानाम सरकार तरमीम कर दी गई है। प्रार्थीया का आवेदन पत्र स्वीकार योग्य है। साथ ही संशोधन प्रस्ताव भी प्रस्तुत किये हैं।

हमने रेकार्ड का अवलोकन किया। प्रार्थीया कब्जे अनुसार तरमीम कराना चाहती है जिसकी ताईद भूमिधारी तहसीलदार, निम्बाहेड़ा द्वारा भी की गई है। संशोधन प्रस्ताव अनुसार संशोधन किये जाने से रकबे में कोई कमी बेशी भी नहीं होती है तथा प्रार्थीया के कब्जे अनुसार राजस्व रेकार्ड में संशोधन हो सकेगी। प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है।

Web copy not official

Scanned by CamScanner

अतः प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार निम्बाहेड़ा से प्राप्त संशोधन प्रस्ताव अनुसार ग्राम अरनिया जोशी की प्रश्नगत आराजीयात में निम्नानुसार संशोधन किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते हैं:-

क्र. सं.	वर्तमान प्रविष्ठी			प्रस्तावित संशोधन		
	आराजी नं.	रकबा हेक्टेयर में	नाम खातेदार	आराजी नं.	रकबा हेक्टेयर में	नाम खातेदार
1	775	0.51	श्रीमती रुकमणी पत्नी प्रकाश धाकड़, सा. टीलाखेड़ा	775	0.51	बिलानाम सरकार
2	801	4.37	बिलानाम सरकार	801 मी.	3.86	बिलानाम सरकार
				801	0.51	श्रीमती रुकमणी पत्नी प्रकाश धाकड़, सा. टीलाखेड़ा

उपर्युक्तानुसार एवं संलग्न नक्शा ट्रेस में प्रदर्शित अनुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किया जावे। प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

आज दिनांक 25.07.2019 को सरे इजलास सुनाया जाकर कम्प्युटराईज कराया गया।

25/7/19

(पंकज शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
निम्बाहेड़ा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Sharma
Date: 2020.02.20 18:24:09 IST
Reason: SelfAttested
Location: